उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-30/2018/ एस-2-1178/दस-2018-88क(1)/2018

लखनऊ :: दिनॉक:: 26 मई,2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के ग्रेड पे 6600 के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान, जहॉ स्थानान्तरित करके तैनात किया गया
1	2	3
1	श्रीमती मोनिका चतुर्वेदी, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, गौतमबुद्धनगर।	महाप्रबन्धक, (वित्त), ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
2	श्री सुनील कुमार, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, संतरविदास नगर।	वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
3	श्री जितेन्द्र प्रताप यादव, वित्त एवं लेखाधिकारी, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4	श्रीमती रेनू बौद्ध, कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।	वरिष्ठ कोषाधिकारी, पीलीभीत।
5	श्री अटलराज भाष्कर, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, झॉसी।	वरिष्ठ कोषाधिकारी, महोबा।
6	श्री शशिकान्त राय, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मुरादाबाद।	वरिष्ठ सम्भागीय लेखाधिकारी(खाद्य) संभागीय खाद्य नियंत्रक, मुरादाबाद।
7	श्री प्रवीन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बुलन्दशहर।	उप निबन्धक, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स कानपुर मण्डल, कानपुर।
8	श्री सरोज कुमार प्रजापति, वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर।	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
9	श्री महिमा चन्द, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, बदायूँ।	वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

10	श्री आशुतोष चतुर्वेदी, वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।	वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।
11	श्री बृजेश सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर।	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
12	श्री अशोक कुमार सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, मुजफ्फरनगर।	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, खुर्जा बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर।
13	श्री लक्ष्मी कान्त, वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि बरेली।	वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर।

2- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी, अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अपने वर्तमान पद व स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

संख्या-30/2018/एस-2-1178(1)/दस-2018-88क(1)/2018,तददिनाँक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिवगण, उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, लखनऊ।
5- रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ।
7- निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
8- परियोजना निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उ0प्र0 लखनऊ
9- उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
10- उपाध्यक्ष, खुर्जा बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर।
11- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर/मुरादाबाद ।
12- संभागीय खाद्य नियंत्रक, मुरादाबाद/सहारनपुर।
13- बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर/संतरविदास नगर/बदायूँ/मुजफ्फरनगर।
14- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
15- आयुक्त/जिलाधिकारी, समस्त संबंधित मण्डल/जनपद।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

16- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
17- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबादा
18- समस्त संबंधित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी उ0प्र0।
19- संबंधित अधिकारीगण ।
20- संयुक्त निदेशक, कृषि बरेली।
21- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।